

अनुदान संख्या 59 – उच्चतर शिक्षा विभाग
GRANT No. 59 - DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	52078,45,00		
		57552,05,00	34475,35,99	-23076,69,01
पूरक	Supplementary	5473,60,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			7385,80,45
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2227,00,00		
		2227,01,00	205,73,73	-2021,27,27
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2017,46,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹2307669.01 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹547360.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 40 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹2307669.01 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹547360.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 40 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	12077.00			
			11954.00	9627.84	-2326.16
पु.	R.	-123.00			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	2553703.00			
पू.	S.	318095.00	2791343.67	1670039.57	-1121304.10
पु.	R.	-80454.33			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	2154935.00			
पू.	S.	229262.00	2135509.36	1690374.98	-445134.38
पु.	R.	-248687.64			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	272130.00			
पू.	S.	2.00	251.00	..	-251.00
पु.	R.	-271881.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants - in - aid to State Governments				
मू.	O.	211000.00			
पू.	S.	1.00	77074.80	77001.90	-72.90
पु.	R.	-133926.20			

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष मुख्य शीर्ष “3602” विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकार को सहायता अनुदान	Head Major Head “3602” Grants - in - aid to Union Territory Governments with Legislature
मू.	O. 4000.00
पु.	R. -3508.28

(I) ₹1918987.00 लाख का प्रावधान (₹466109.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तिरसठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹1914218.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष “2202” —

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” —

- (i) “विश्वविद्यालयों को सहायता — शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम” — ₹93300.00 लाख;
- (ii) “अनुसूचित जातियों के विशेष संघटक योजना — शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम” — ₹30800.00 लाख; और
- (iii) “जनजातीय उप-योजना — शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम” — ₹17200.00 लाख।

(I) Provision of ₹1918987.00 lakhs (including supplementary grant of ₹466109.00 lakhs) remained wholly unutilised under sixty three heads; of these ₹1914218.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(A) Major Head “2202”

(a) “University and Higher Education” -

- (i) “Assistance to Universities- Education Quality Upgradation and Inclusion Programme (EQUIP)” - ₹93300.00 lakhs;
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Education Quality Upgradation and Inclusion Programme (EQUIP)” - ₹30800.00 lakhs; and
- (iii) “Tribal Area Sub-Plan- Education Quality Upgradation and Inclusion Programme (EQUIP)” - ₹17200.00 lakhs.

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत स्कीम शुरू न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (iv) “आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियां” – ₹1054918.00 लाख (₹248095.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) “सामान्य” –

- (i) “अनुसंधान – अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना” – ₹2950.00 लाख;
- (ii) “अनुसूचित जातियों के विशेष संघटक योजना – अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्द्धन योजना” – ₹700.00 लाख; और

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –

- (क) “अन्य व्यय – अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल” – ₹1125.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

- (ख) “आरक्षित निधि/जमा लेखे को अंतरण – माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष को अंतरण के लिए निधियों” – ₹445082.00 लाख (₹218012.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) लेखांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-taking off of the scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

- (iv) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh” - ₹1054918.00 lakhs (including supplementary grant of ₹248095.00 lakhs) - due to non-finalization of accounting procedure.

(b) “General” -

- (i) “Research- Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)” - ₹2950.00 lakhs;
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC)” - ₹700.00 lakhs; and

(B) Major Head “2203” -

- (a) “Other Expenditure- Global Initiative for Academic Network (GIAN)” - ₹1125.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

- (b) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for Transfer to Madhyamik and Uchhattar Shiksha Kosh” - ₹445082.00 lakhs (including supplementary grant of ₹218012.00 lakhs) - due to non-finalization of accounting procedure.

(गा) मुख्य शीर्ष “2552” –	(C) Major Head “2552”-
(क) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” –	(a) “University and Higher Education - Assistance to Universities” -
(i) “इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1240.00 लाख;	(i) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - ₹1240.00 lakhs;
(ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹22210.00 लाख;	(ii) “University Grants Commission (UGC)” - ₹22210.00 lakhs;
(iii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹3005.00 लाख;	(iii) “National Education Mission: Rashtriya Uchhattar Shiksha Abhiyan” - ₹3005.00 lakhs;
(iv) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹96392.00 लाख (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);	(iv) “Grants to Central Universities” - ₹96392.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs);
(ख) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय – छात्र वित्तीय सहायता” – ₹920.00 लाख;	(b) “University and Higher Education- Other Expenditure- Student Financial Aid” - ₹920.00 lakhs;
(ग) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान” – ₹3630.00 लाख;	(c) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature- Grants for Promotion of Indian Languages”- ₹3630.00 lakhs;
(घ) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरी, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान” –	(d) “Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes” -
(i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹42470.00 लाख; और	(i) “Indian Institutes of Technology” - ₹42470.00 lakhs; and
(ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹540.00 लाख।	(ii) “Indian Institutes of Management” - ₹540.00 lakhs.

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provision under the above eight heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- | | |
|---|--|
| <p>(iii) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्” – ₹2780.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण।</p> | <p>(iii) “All India Council for Technical Education (AICTE)” - ₹2780.00 lakhs - due to reduction of provision at the revised estimates stage by the Ministry of Finance.</p> |
| <p>(iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹16330.00 लाख;</p> | <p>(iv) “Assistance to other institutions” - ₹16330.00 lakhs;</p> |
| <p>(v) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1080.00 लाख;</p> | <p>(v) “Indian Institutes of Information Technology” - ₹1080.00 lakhs;</p> |
| <p>(vi) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को समर्थन” – ₹50410.00 लाख;</p> | <p>(vi) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹50410.00 lakhs;</p> |
| <p>(ड) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹1931.00 लाख;</p> | <p>(e) “General (General Education)- Other Expenditure- Digital India e-learning” - ₹1931.00 lakhs;</p> |
| <p>(च) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –</p> | <p>(f) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -</p> |
| <p>(i) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹1299.00 लाख;</p> | <p>(i) “Assistance to other institutions” - ₹1299.00 lakhs;</p> |
| <p>(ii) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹6690.00 लाख;</p> | <p>(ii) “Grants to Central Universities” - ₹6690.00 lakhs;</p> |
| <p>(iii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को सहायता” – ₹3840.00 लाख;</p> | <p>(iii) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹3840.00 lakhs;</p> |
| <p>(iv) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹1510.00 लाख;</p> | <p>(iv) “University Grants Commission (UGC)” - ₹1510.00 lakhs;</p> |
| <p>(v) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹665.00 लाख;</p> | <p>(v) “National Education Mission: Rashtriya Uchhattar Shiksha Abhiyan” - ₹665.00 lakhs;</p> |
| <p>(vi) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹2930.00 लाख;</p> | <p>(vi) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - ₹2930.00 lakhs;</p> |

(छ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1400 लाख;
- (ii) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹3420.00 लाख;
- (iii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईईएसटी को सहायता” – ₹2050.00 लाख;
- (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹621.00 लाख; और
- (v) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹780.00 लाख।

(g) “Tribal Area Sub-Plan” -

- (i) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - ₹1400.00 lakhs;
- (ii) “Grants to Central Universities” - ₹3420.00 lakhs;
- (iii) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - ₹2050.00 lakhs;
- (iv) “Assistance to other institutions” - ₹621.00 lakhs; and
- (v) “University Grants Commission (UGC)” - ₹780.00 lakhs.

उपर्युक्त पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किए गए पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए के अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” – “सामान्य”

- (क) “अनुसूचित जातियों के विशेष संघटक योजना – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹6719.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1660.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8379.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹3451.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;
- (ख) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹3432.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹860.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके

Provisions under the above fifteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head “2202” - “General”-

- (a) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Digital India e-Learning” - the original provision of ₹6719.00 lakhs was augmented to ₹8379.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1660.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3451.00 lakhs (including supplementary grant);
- (b) “Tribal Area Sub-Plan - Digital India e-Learning” - the original provision of ₹3432.00 lakhs was augmented to ₹4292.00

बढ़ाकर ₹4292.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1924.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

lakhs by obtaining supplementary grant of ₹860.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1924.00 lakhs (including supplementary grant);

(ग) “अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹31769.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7480.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹39249.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹18593.23 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(c) “Other Expenditure - Digital India e-Learning” - the original provision of ₹31769.00 lakhs was augmented to ₹39249.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7480.00 lakhs. However, there was a saving of ₹18593.23 lakhs (including supplementary grant);

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –

(B) Major Head “2203” -

(क) “प्रशिक्षण – राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान” – ₹13570.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹3990.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹17560.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹4016.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित); हुई

(a) “Training - National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)” - the original provision of ₹13570.00 lakhs was augmented to ₹17560.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹3990.00 lakhs. However, there was a saving of ₹4016.00 lakhs (including supplementary grant);

(ख) “इंजीनियरी, तकनीकी कॉलेज और संस्थान – भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹34355.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1355.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹35710.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹5277.78 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(b) “Engineering, Technical Colleges and Institutes - Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - the original provision of ₹34355.00 lakhs was augmented to ₹35710.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1355.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5277.78 lakhs (including supplementary grant); and

(III) मुख्य शीर्ष “2203” – “इंजीनियरी तकनीकी कॉलेज और संस्थान – भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता” – ₹53765.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹55865.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹1219.68 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head “2203” - “Engineering, Technical Colleges and Institute - Support to Indian Institute of Science (IISc)” - the original provision of ₹53765.00 lakhs was augmented to ₹55865.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2100.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of ₹1219.68 lakhs.

बचत उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – उच्चतर शिक्षा विभाग” – ₹2449.16 लाख की बचत (₹12077.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने और विज्ञापन और प्रचार के प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “2202” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –

(क) “विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(i) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹62876.24 लाख की बचत (₹403110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के अंतर्गत अव्ययित शेष की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) “आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय” – ₹4605.75 लाख की बचत (₹4780.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iii) “इग्नू तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1620.00 लाख की बचत (₹11110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

Savings under the above six heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head “2251” - “Secretariat-Department of Higher Education” - saving of ₹2449.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12077.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less medical claims and less proposals of advertising and publicity.

(V) Under Major Head “2202” - savings occurred under the following heads:-

(A) “University and Higher Education” -

(a) “Assistance to Universities” -

(i) “University Grants Commission (UGC)” - saving of ₹62876.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹403110.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals, receipt of unspent balances under Treasury Single Account and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) “Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities” - saving of ₹4605.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4780.00 lakhs) was due to less receipt of proposal and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - saving of ₹1620.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11110.00 lakhs);

(iv) “केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आन्ध्र प्रदेश” – ₹5013.45 लाख की बचत (₹5435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(v) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹2488.82 लाख की बचत (₹10490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) “उच्च शिक्षा संस्थान – शास्त्री इंडो कनाडियन संस्थान” – ₹553.97 लाख की बचत (₹716.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹830.55 लाख की बचत (₹27490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(घ) “अन्य व्यय – राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन” – ₹2110.00 लाख की बचत (₹3365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “भाषा विकास” –

(क) “निर्देशन एवं प्रशासन” –

(i) “हिंदी निदेशालय” – ₹507.35 लाख की बचत (₹1988.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(iv) “Central University, Andhra Pradesh”- saving of ₹5013.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5435.00 lakhs);

(v) “Assistance to Other Institutions”- saving of ₹2488.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10490.00 lakhs); and

(b) “Institutes of Higher Learning- Shastri Indo-Canadian Institute”- saving of ₹553.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹716.00 lakhs).

Savings under above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes- University Grants Commission (UGC)”- saving of ₹830.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27490.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) “Other Expenditure- National Mission on Teachers and Teaching” - saving of ₹2110.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3365.00 lakhs);

(B) “Language Development” -

(a) “Direction and Administration”-

(i) “Directorate of Hindi”- saving of ₹507.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1988.00 lakhs); and

(ii) “अन्य स्कीमें” – ₹1887.29 लाख की बचत (₹2168.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

बचतें तीन शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(iii) “केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र” – ₹1145.29 लाख की बचत (₹2801.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, लघु कार्यों, अन्य प्रभारों और स्वैच्छिक संगठनों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ख) “आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य का संवर्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान” – ₹1007.93 लाख की बचत (₹35670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(गा) “सामान्य” –

(क) “अनुसंधान – मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹7796.57 लाख की बचत (₹23030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ख) “छात्रवृत्ति – विद्यार्थी वित्तीय सहायता” – ₹10400.32 लाख की बचत (₹180610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा

(ii) “Other Schemes”- saving of ₹1887.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2168.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) “Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers” - saving of ₹1145.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2801.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards minor works, other charges voluntary organisations and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Grants for Promotion of Indian languages” - saving of ₹1007.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35670.00 lakhs); and

(C) “General”-

(a) “Research - National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences” - saving of ₹7796.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23030.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Scholarships - Student Financial Aid” - saving of ₹10400.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180610.00 lakhs)

संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती के जाने के कारण हुई।

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” – ₹25070.48 लाख की बचत (₹29910.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – विद्यार्थी वित्तीय सहायता” – ₹13205.68 लाख की बचत (₹15255.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की वजह से संस्थानों द्वारा आवर्ती व्यय प्रतिबंधित होने, कम दावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ङ) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – योजना, प्रशासन और वैश्विक जुड़ाव” – ₹3679.64 लाख की बचत (₹9409.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और पिछले वर्ष अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(च) “अन्य व्यय” –

(i) “भारत में अध्ययन” – ₹4541.22 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ii) “चैंपियन सेवा क्षेत्र” – ₹1478.72 लाख की बचत (₹10200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(VI) मुख्य शीर्ष “2203” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Student Financial Aid” - saving of ₹25070.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29910.00 lakhs); and

(d) “Tribal Area Sub-Plan - Student Financial Aid” - saving of ₹13205.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15255.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to restricted recurring expenditure by the institutes owing to COVID-19 pandemic, receipt of less claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) “International Co-operation - Planning, Administration & Global Engagement” - saving of ₹3679.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9409.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and availability of unspent balances of previous years.

(f) “Other Expenditure” -

(i) “Study in India” - saving of ₹4541.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs);

(ii) “Champion Services Sector” - saving of ₹1478.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10200.00 lakhs);

(VI) Under Major Head “2203” - savings occurred under the following heads:-

(का) “अनुसंधान – अनुसंधान और नवाचार” – ₹5092.81 लाख की बचत (₹20020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) “छात्रवृत्ति – आसियान अध्येतावृत्ति” – ₹3208.18 लाख की बचत (₹3300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान पर कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(गा) “इंजीनियरी, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान” –

(क) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹17211.60 लाख की बचत (₹622880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों से एचईएफए ऋण के पुनः भुगतान के लिए प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ख) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹776.00 लाख की बचत (₹42560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ग) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएएसटी को सहायता” – ₹6164.46 लाख की बचत (₹297390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घ) “योजना और वास्तुकला विद्यालय” – ₹15990.00 लाख की बचत (₹24930.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(A) “Research- Research and Innovation” - saving of ₹5092.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20020.00 lakhs); and

(B) “Scholarships - ASEAN Fellowship” - saving of ₹3208.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3300.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Engineering, Technical Colleges and Institutes” -

(a) “Indian Institutes of Technology (IITs)” - saving of ₹17211.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹622880.00 lakhs) was due to less receipt of proposals for repayment of HEFA loans from the institutions and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) “Indian Institutes of Management (IIMs)” - saving of ₹776.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42560.00 lakhs);

(c) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IEST” - saving of ₹6164.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹297390.00 lakhs);

(d) “Schools of Planning and Architecture (SPAs)” - saving of ₹15990.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24930.00 lakhs);

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

- (क) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹706.00 लाख की बचत (₹42970.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ख) “भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना” – ₹5570.00 लाख की बचत (₹14000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ग) “अनुसंधान और नवाचार” – ₹942.50 लाख की बचत (₹4450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (घ) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईएएसटी को सहायता” – ₹570.15 लाख की बचत (₹22660.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ङ) “योजना और वास्तुकला विद्यालय” – ₹1095.00 लाख की बचत (₹1720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ड) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (क) “भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना” – ₹780.00 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ख) “अनुसंधान और नवाचार” – ₹518.25 लाख की बचत (₹2270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ग) “योजना और वास्तुकला विद्यालय” – ₹540.00 लाख की बचत (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (चा) “आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अंतरण – राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण के लिए निधियां” – ₹200000.00 लाख की बचत (₹450000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (a) “Indian Institutes of Technology”- saving of ₹706.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42970.00 lakhs);
- (b) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - saving of ₹5570.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs);
- (c) “Research & Innovation” - saving of ₹942.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs);
- (d) “Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST” - saving of ₹570.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22660.00 lakhs);
- (e) “Schools of Planning and Architecture (SPAs)” - saving of ₹1095.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1720.00 lakhs);
- (E) “Tribal Area Sub-Plan”-
- (a) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - saving of ₹780.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs);
- (b) “Research and Innovation” - saving of ₹518.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2270.00 lakhs);
- (c) “Schools of Planning and Architecture (SPAs)” - saving of ₹540.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs);
- (F) “Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts - Funds for Transfer to National Investment Fund (NIF)” - saving of ₹200000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450000.00 lakhs);

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹4747.27 लाख की बचत (₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹15751.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना– राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹930.98 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹521.68 लाख की बचत (₹1750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

बचतें उपर्युक्त पन्द्रह शीर्षों के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान” –

(क) “विशेष सहायता – विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार” – ₹90132.91 लाख की बचत (₹138700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार” – ₹23688.96 लाख की बचत (₹34200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(VII) Under Major Head “3601” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Centrally Sponsored Schemes” -

(a) “Central Assistance/Share- National Education Mission: Rashtriya Uchhattar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹4747.27 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15751.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission: Rashtriya Uchhattar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹930.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs); and

(c) “Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchhattar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹521.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1750.00 lakhs).

Savings under the above fifteen heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Other Transfer/ Grants to States” -

(a) “Special Assistance- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers”- saving of ₹90132.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹138700.00 lakhs);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹23688.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34200.00 lakhs); and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के वेतनमान में सुधार” – ₹13977.30 लाख की बचत (₹17100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(c) “Tribal Area Sub - Plan- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers”- saving of ₹13977.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17100.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims from the State Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VIII) मुख्य शीर्ष “3602” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(VIII) Under Major Head “3602” - savings occurred under the following heads:-

(का) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” –

(A) “Centrally Sponsored Schemes”-

(क) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹2621.31 लाख की बचत (₹2995.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(a) “Central Assistance/ Share- National Education Mission: Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹2621.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2995.00 lakhs); and

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन – राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹591.33 लाख की बचत (₹670.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- National Education Mission: Rashtriya Uchhatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹591.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹670.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IX) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹2917.99 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक थीं।

(IX) Under eight heads savings of ₹2917.99 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 99 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹227222.06 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹547359.00

2. The above savings were partly (₹227222.06 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while

लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

obtaining supplementary grant of ₹547359.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” –

(A) Major Head “2202”-

(क) “विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा” –

(a) “University and Higher Education” -

(i) “विश्वविद्यालय को सहायता” –

(i) “Assistance to Universities” -

(1) “उच्च शिक्षा” – ₹24301.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹23573.33 लाख था।

(1) “Higher Education” - ₹24301.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹23573.33 lakhs.

(2) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹110990.39 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹88061.59 लाख था।

(2) “Grants to Central Universities” - ₹110990.39 lakhs. Actual excess, however, was ₹88061.59 lakhs.

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(1) “उच्च शिक्षा” – ₹20870.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹20733.82 लाख था।

(1) “Higher Education” - ₹20870.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹20733.82 lakhs.

(2) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹24297.77 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹22173.83 लाख था।

(2) “Grants to Central Universities” - ₹24297.77 lakhs. Actual excess, however, was ₹22173.83 lakhs.

(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(iii) “Tribal Area Sub - Plan” -

(1) “उच्च शिक्षा” – ₹12530.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹12463.42 लाख था।

(1) “Higher Education” - ₹12530.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12463.42 lakhs.

(2) “केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹9921.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹8645.22 लाख था।

(2) “Grants to Central Universities” - ₹9921.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹8645.22 lakhs.

(ख) “सामान्य – अनुसंधान – सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली अनुसंधान नीति” – ₹1200.00 लाख।

(b) “General- Research- Impactful Policy Research in Social Science (IMPRESS)” - ₹1200.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –	(B) Major Head “2203” -
(क) “छात्रवृत्ति – छात्रों को वित्तीय सहायता” – ₹1091.52 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1081.86 लाख था।	(a) “Scholarships - Student Financial Aid” - ₹1091.52 lakhs. Actual excess, however, was ₹1081.86 lakhs.
(ख) “इंजीनियरी, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान”–	(b) “Engineering, Technical Colleges and Institutes”-
(i) “राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई” – ₹592.00 लाख।	(i) “National Institutes of Industrial Engineering, Mumbai” - ₹592.00 lakhs.
(ii) “भारत सरकार तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना” – ₹990.00 लाख।	(ii) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - ₹990.00 lakhs.
(iii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹11943.16 लाख।	(iii) “Assistance to other Institutions” - ₹11943.16 lakhs.
(iv) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹4187.00 लाख।	(iv) “Indian Institute(s) of Science Education and Research (IISER)” - ₹4187.00 lakhs.
(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –	(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
(i) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹349.43 लाख।	(i) “Student Financial Aid” - ₹349.43 lakhs.
(ii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹874.65 लाख।	(ii) “Assistance to other Institutions” - ₹874.65 lakhs.
(iii) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹1720.00 लाख।	(iii) “Indian Institute (s) of Science Education and Research (IISER)” - ₹1720.00 lakhs.
(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –	(d) “Tribal Area Sub-Plan” -
(i) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹419.77 लाख।	(i) “Assistance to other Institutions” - ₹419.77 lakhs.

(ii) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹944.37 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹944.36 लाख था।

(ii) “Indian Institute(s) of Science Education and Research (IISER)” - ₹944.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹944.36 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “4202” शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4202” Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O.	222700.00	20955.00	20573.73
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-201746.00		-381.27

(I) “सामान्य शिक्षा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under “General Education” - savings occurred under the following heads:-

(का) “विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – उच्च शिक्षा वित्तपोषण संस्थानों में निवेश” – ₹200000.00 लाख की बचत (₹220000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पहले से आबंटित इक्विटी के उत्तोलन के अंतर्गत इक्विटी इन्फ्यूजन की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(A) “University and Higher Education- Investment in Higher Educational Financing Institutions” - saving of ₹200000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards equity infusion owing to under - leverage of already allocated equity.

(खा) “भाषा विकास – केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र” – ₹633.57 लाख की बचत (फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹1201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य को पूरा न किए जाने, कोविड-19 महामारी की वजह से क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों पर कार्य की धीमी गति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा

(B) “Languages Development - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers” - saving of ₹633.57 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹1201.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in February, 2021) was due to non-completion of

संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “सामान्य – उच्च शिक्षा विभाग” – ₹1493.70 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी की वजह से निर्माण कार्य को पूरा न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

construction work, slow pace of work at regional language centers owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “General- Department of Higher Education”- saving of ₹1493.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-completion of construction work owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
